

क्रमांक / 1656 / 34-2 / 06
प्रति,

रायपुर, दिनांक 11.7.2006

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय-रायपुर ।

विषय:- शासकीय कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक को आमंत्रित करने के संबंध में।

- संदर्भ:- 1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. 1065/1161/06/1/
दि 26.6.06 एवं पत्र क्र.1115/1161/दि 7.7.06
2. प्रमुख अभियंता, रायपुर का पत्र क्रमांक 73/निस/प्रअ/दि 10 जुलाई 06

-00-

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख अभियंता के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न है) द्वारा कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां.खंड, जांजगीर चांपा के पत्र दि 10.7.2006 की प्रति भेजी है, जिसमें कार्यपालन अभियंता द्वारा उल्लेख किया गया है कि दि.3.5.06 को चांपा विधान सभा क्षेत्र के विकासखंड नवागढ़ के ग्राम सुखली, पेण्डी, बोडसरा, कि पुटपुरा में नलजल योजना का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन संबंधित ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया था एवं आमंत्रण पत्र उनके द्वारा ही छपवाये गये थे एवं बाटे गये थे। शिलान्यास कार्यक्रम शासकीय आयोजन नहीं था, इस प्रकार का उल्लेख कार्यपालन अभियंता ने अपने पत्र में किया है।

विभागीय अधिकारियों को यह चाहिए कि विभाग से संबंधित इस प्रकार के कार्यक्रमों में क्षेत्रीय विधायक से संपर्क कर उन्हें भी आमंत्रित करने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से करें। प्रमुख अभियंता को यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार के विभागीय कार्यक्रमों में शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए क्षेत्रीय विधायक को भी आमंत्रित करें। इस प्रकार की कार्यवाही करने हेतु विभाग के समस्त कार्यपालन अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं एवं मुख्य अभियंताओं को भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं।

(नारायण सिंह)

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,

रायपुर, दिनांक 11.7.2006

पृ० क्रमांक 1797 / 1656 / 34-2 / 06
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग, रायपुर।
2. मुख्य अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग परिक्षेत्र, रायपुर/बिलासपुर
3. अधीक्षण अभियंता, लो.स्वा.यां. विभाग मण्डल,
रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।
4. कार्यपालन अभियंता, लो.स्वा.यां. खण्ड

इस सभी अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि विभागीय योजना के शिलान्यास एवं उद्घाटन संबंधी शासकीय कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्रीय विधायकगणों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जावे। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व मान. विधायकगणों से संपर्क कर योजना के बारे में उन्हें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

कार्य. प्र. अ. लो. स्वा. यां. वि. छ. ग. रायपुर
स्था. / तक. / लेखा / कम्प्यू. / गोप. / अ. वि. / वि. / यां. /
सा. शा. / मु. रा. प. / सी. सी. डी. प. / प्रशिक्षण

ज. वि. वि. वि.

E.E.(A)/PS(T)

प्रमुख अभियंता

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

क्र. 1736/13/06

